न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :–अनीता मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 16 / 2021(उदयपुरआर्डर)

1. देवीलाल पिता स्वर्गीय कालू दर्जी, निवासी सांगवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
2. फतहलाल पिता स्वर्गीय कालू दर्जी, नि0 सांगवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
3. हीरालाल पिता स्वर्गीय कालू दर्जी, निवासी सांगवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
4. गोपाल पिता स्वर्गीय कालू दर्जी, निवासी सांगवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर
5. मु. सोहनी बाई पत्नी स्वर्गीय कालू दर्जी, नि0 सांगवा, तह0 मावली, जिला उदयपुर

.... अपीलान्टगण

बनाम

1. प्रद्युमनदेव सिंह पिता नरदेव सिंह राजपूत, नि0 कुराबड़, हाल अम्बावगढ़, उदयपुर
2. लवदेव सिंह पिता नरदेव सिंह राजपूत, निवासी कुराबड़, हाल अम्बावगढ़, उदयपुर
3. सुब्रम्णयमदेव सिंह पिता नरदेव सिंह राजपूत, नि0 कुराबड़, हाल अम्बावगढ़, उदयपुर
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, मावली, जिला उदयपुर (राज.)
5. उप पंजीयक मावली, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
6. पटवारी हल्का सांगवा, तहसील मावली, जिला उदयपुर (राज.)
7. पुष्करलाल पिता नाथू जी गायरी, निवासी गायरियावास, उदयपुर (राज.)

................रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम1955 विरूद्ध निर्णयउपखण्डअधिकारी,मावली प्रकरण संख्या128 / 2011दिनांक 06.04.2021

———/———

उपस्थित(वक्तबहस)
1. श्री मन्नाराम डांगीअभिभाषकअपीलान्टगण
2. श्री शम्भूसिंह राठौड़ अभिभाषकरेस्पो.सं. 3
3.श्री कमलेश चौहान राजकीय अभिभाषक

———::———

निर्णयदिनांक 22–08–2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में हाल अपीलान्टगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियमका प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मौजा सांगवा में आराजी नंबर 995 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा स्थित है, जो वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम हिस्से अनुसार संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। उक्त आराजी के साबिक आराजी नंबर 57 / 2 रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा थे, जो सेटलमेन्ट से पूर्व बहूजी सा. श्री शीतल कुमारी जी ठिकाना कुराबड़ के नाम दर्ज होकर प्रार्थीगण [illegible] संख्या 4 के पिता कालू एवं

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:33 IST
Reason: SelfAttested

भेरा पिता नाथू दर्जी द्वारा खातेदार बहुजी सा. श्री शीतल कुमारी जी ठिकाना कुराबड़ के आम मुख्तियार श्री मोहनलाल पिता पन्नालाल से जरिये बिकावनामा दिनांक 06–11–1955 को क्रय की जाकर कब्जा प्राप्त किया, तब से प्रार्थीगण निरन्तर अपने पूर्वजों के समय से काबिज चले आ रहे हैं, किन्तु राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 से 3 का नाम नुमाईशी तौर पर दर्ज हो जाने से एवं जमीन के भाव बढ़ जाने से भू–माफियाओं से मिलकर प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करना चाहते हैं। अतः निवेदन किया कि मूलवाद के निस्तारण तक विपक्षी संख्या 1 से 3 को इस आशय की जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जावे कि वे प्रार्थना पत्र की कलम संख्या 2 में वर्णित आराजी को किसी अन्य को विक्रय, रहन, बैह, बक्शीस या अन्य प्रकार से हस्तान्तरण नहीं करें तथा प्रार्थीगण को शान्ति पूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें तथा रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

विपक्षी संख्या 1 व 2 ने खण्डन का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार नहीं हैं, न ही उनका कब्जा है। आराजी नंबर 995 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा भूमि विपक्षी संख्या 1 से 3 ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय प्रार्थीगण को कभी भी विक्रय नहीं की। विपक्षी संख्या 1 से 3 विवादित भूमि के खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थीगण उनके विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

अधिनस्थ न्यायालय द्वाराउभयपक्षों को सुनने के बाद अपने निर्णय दिनांक 06–04–2021 प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्रखारिज कर दिया,जिससे रूष्ट होकर अपीलान्टगण द्वारा दिनांक 02–07–2021 को इस न्यायालय में यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को तलब करने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भूसिंह राठौड़ उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 से 6 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री लोकेश गहलोत उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:33 IST
Reason: SelfAttested

वकील अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराया एवं कथन किया किवादग्रस्त आराजी नंबर 57/2 रकबा 8 बीघा का विक्रय विलेख 21–11–1955 से इन्तकाल संख्या 115 दिनांक 31–03–1965 से जमाबन्दी संवत 2020 से 2023 खाता संख्या 293 में बहुजी राठौड जी ठिकाना कुराबड़ खातेदारी के बजाय क्रेता भेरा, कालू पिता नाथू दर्ज के नाम दर्ज करने की स्वीकृति हुई है, जिससे वह कानूनन खातेदार काश्तकार हो गये। बाद में भेरा ने भी अपना आधा हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 14–07–1975 को अपने भाई कालू के पक्ष में कर कब्जा सिपुर्द कर दिया, तब से उक्त समस्त भूमि पर कब्जा अपीलान्टगण का चला आ रहा है। साबिक आराजी नंबर 57/2 रकबा 8 बीघा के हाल आराजी नंबर 995 रकबा 7 बीघा 14 बिस्वा बने हैं, जो अवैध तरीके से बहुजी राठौड जी ठिकाना कुराबड़ के वारिसान के नाम दर्ज कर दी गयी है। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 तथा इनके पिता नरदेव सिंह द्वारा बिना किसी अधिकार के दिनांक 15–09–2010 एवं 16–09–2010 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 पुष्करलाल के पक्ष में रजिस्टर्ड विक्रय कर दिया गया है, जो अपीलान्टगण के मुकाबले अवैध एवं शून्य प्रभावी है, क्योंकि कानूनन दिनांक 21–11–1955 के बाद वाद में वर्णित भूमि में बहुजी राठौड ठिकाना कुराबड़ तथा उनके वारिसान का कोई हक व अधिकार शेष नहीं रहा है, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने इस कानूनी बिन्दु पर कोई गौर नहीं किया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्टगण द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में चाहा गया अनुतोष उन्हें दिलाया जावे।अपने कथन के समर्थन में विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने न्यायिक नजीरें **आर.आर.डी. 1987 पेज 426, आर.आर.डी. 2004 पेज 123, आर.आर.डी. 2016 पेज 513, आर.आर.डी. 1974 पेज 454, आर.आर.डी. 2000 पेज 509 एवं आर.आर.डी. 1972 पेज 250** प्रस्तुत कर न्यायालय का ध्यान उनकी ओर आकृष्ट किया।

उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाशक रेस्पोन्डेन्ट निवेदन किया कि विवादित आराजी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 के खातेदारी की होकर उनका कब्जा चला आ रहा है। उक्त भूमि में अपीलान्टगण का कभी भी कब्जा नहीं रहा है, न ही उक्त भूमि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 अथवा उनके पूर्वजों द्वारा अपीलान्टगण या उनके पूर्वजों को कभी विक्रय की गयी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:33 IST
Reason: SelfAttested

अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का निस्तारण करते हुए अपीलान्टगण का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत है। अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जावे।

हमने उभयपक्षों की बहस पर मनन कर पत्रावली का अवलोकन किया एवं अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक नजीरों को देखा। जमाबन्दी संवत् 2066 से 2069 में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 विवादित आराजियात के सहखातेदार दर्ज हैं एवं रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा अपने 1/6 हिस्से का रजिस्टर्ड विक्रय रेस्पोन्डेन्ट संख्या 7 के पक्ष में किया जाकर कब्जा सिपुर्द किया गया है। इससे स्पष्ट है कि रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 3 विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार हैं एवं रेकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अपीलान्टगण जो विवादित भूमि के खातेदार नहीं हैं, किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अधिनस्थ न्यायालय ने अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दुओं का विवेचन करने हुए हमारे द्वारा किये गये उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलान्टगण का अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज किया है, जो विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। इस सम्बन्ध में अपीलान्टगण द्वारा जो न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी हैं, उनके तथ्य वर्तमान प्रकरण से भिन्न होने से चस्पा नहीं होते हैं।

अतःअपील अपीलान्टसारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06–04–2021यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 22–08–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.09.27 13:54:33 IST
Reason: SelfAttested